न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-375RAAJodhpur2023-174RTA225 Jamana ors Vs Anachee etc

01. जमना पत्नी अर्जुनराम,
02. भंवरलाल पुत्र सुंडाराम उर्फ चुनाराम
03. महीराम पुत्र अर्जुनराम
04. सहीराम पुत्र छोगाराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- मूलराज, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. अणची पुत्री सुंडाराम उर्फ चुनाराम
2. अशोक पुत्र अर्जुनराम
3. किशनाराम पुत्र सुंडाराम उर्फ चुनाराम
4. गोमती पत्नी दाणुराम
5. पूनाराम पुत्र बरसिंगाराम
6. प्रेमाराम पुत्र अर्जुनराम
7. बरजू पत्नी सुंडाराम उर्फ चुनारामू
8. बाबूराम पुत्र बरसिंगाराम
9. भगवानाराम पुत्र छोगाराम
10. भाखरराम पुत्र सुंडाराम उर्फ चुनाराम
11. मगनाराम पुत्र बरसिंगाराम
12. मनोहरसिंह पुत्र फगलुराम
13. मांगीलाल पुत्र मोहनराम
14. माडू पत्नी छोगाराम
15. लक्ष्मणराम पुत्र दानाराम
16. सोनी पत्नी मोहनराम
17. सोमराज पुत्र मोहनराम
18. सोहनराम पुत्र दाणुराम
19. हड़मानराम पुत्र अर्जुनराम
20. हीराराम पुत्र धीमाराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- मूलराज, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

21. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक लोहावट
22. ग्राम पंचायत मूलराज जरिये सरपंच

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

23.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 21 सितंबर 2023 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 125/2023 जमना व अन्य बनाम अणची इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री भानू प्रताप, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2 से 3,6,7,9,10,14,15,18 व 19

श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 23

निर्णय

दिनांक : 10 नवंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 125/2023 अनवान जमना व अन्य बनाम अणची इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 सितंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 772 रकबा 8.2070 हैक्टेयर, 765 रकबा 8.3527 हैक्टेयर, खसरा नं. 766 रकबा 2.9572 हैक्टेयर, खसरा नं. 767 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नं. 768 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा नं. 769 रकबा 5.9570 हैक्टेयर, खसरा नं. 772/3017 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नं. 773 रकबा 2.0801 हैक्टेयर, खसरा नं. 918 रकबा 1.5621 हैक्टेयर, खसरा नं. 919 रकबा 1.8777 हैक्टेयर, खसरा नं. 970 रकबा 2.4038 हैक्टेयर, खसरा नं. 995 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नं. 996 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नं. 997/2 रकबा 7.6485

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैक्टेयर, खसरा नं. 998 रकबा 1.8939 हैक्टेयर ग्राम मूलराज तहसील लोहावट के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से अस्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। विवादित भूमि अपीलार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है तथा सभी सहखातेदारान् का विवादित पर प्रत्येंक इंच पर कब्जा है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में है। अपीलार्थीगण का बंटवाड़ा का विचाराधीन है, किंतु प्रत्यर्थीगण सड़क वाले हिस्से पर अधिक भूमि पर कब्जा करने व जबरदस्ती अपीलार्थीगण की भूमि का हिस्सा कम करने की नियत से रास्ता जमाबंदी में कम किये बगैरा निकालने पर उतारु है। मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है। राजस्व रेकर्ड की आड़ में प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि से अपीलार्थीगण को उसके कब्जे व काश्त में दखल करने तथा अपीलार्थीगण की भूमि में सें रास्ता निकालकर उन्हे बेदखल करने पर उतारु है तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर विशेष हिस्से पर कब्जा कर मौके पर परिवर्तन करने पर उतारु है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्त ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं वाद के लंबित रहने तक विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आरायाजीत अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि है, जिसके विभाजन का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट्स के कथनानुसार एवं प्रस्तुत अभिलेख मुताबिक खसरा नं. 765 एवं 773 का विभाजन करवाये उसमें में सें चल रहे कदीमी रास्ते को अपीलांट्स की बिना सहमति एवं बिना सुनवाई के निकाला जा रहा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स पाये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। इसलिए मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक

10.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 125/2023 अनवान जमना व अन्य बनाम अणची इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 सितंबर 2023 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। साथ ही उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे मौके पर चालू रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करे। अदालत हाजा का उक्त आदेश विचारण न्यायालय को आदेश प्रति प्राप्ति के दो माह की अवधि पश्चात स्वतः निरस्त हो जायेगा। उभय पक्ष विचारण न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.11.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर